न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः–322 / 2025

प्रार्थीः–

राजेन्द्रसिंह पुत्र मानसिह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जि़ला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री यशपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 26-02-2026

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व की धारा 131–136 के तहत विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ख़ातेदारी भूमि खसरा संख्या 1666 रकबा 0.2191 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1667 रकबा 0.0487 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा रमणिया तहसील सिवाना में अवस्थित है। खसरा संख्या 1667 रकबा 0.0487 हैक्टयर के जुडता बदिशा उत्तर में खसरा संख्या 1666 रकबा 0.2191 हैक्टेयर भूमि किस्म धोरा आई हुई है, सर्वे –रिसर्वे के दौरान खसरा संख्या 1666 की पूर्व स्थिति को गैर तरीके से बदलकर,नक्शे में उक्त स्थान खसरा संख्या 1666 को सरकारी भूमि का खसरा में मिलाते हुए नक्शे की स्थिति में पूर्व एवं वर्तमान की स्थिति को पूर्णतया बदल किया है जिससे उक्त नक्शा तरमीम गलत होने से मौके पर पेचदगी पैदा कर दी है तथा मौके की सही स्थिति को बदलकर नक्शे में जो परिवर्तन किया गया है, जिससे पडौसी खातेदारान के भी समस्या पैदा कर दी है तथा नक्शे में उक्त गलत तरमीम से मौके पर पूर्णतया अवैध एवं अनुचित विवाद पैदा कर दिया है। प्रार्थी द्वारा पुराने नक्शा व मौका स्थिति अनुसार नक्शे में तरमीम का शुद्धिकरण किया जाकर सर्वे–रिसर्वे में त्रुटिपूर्ण की गई तरमीम को दुरूस्त किया जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई।

तहसीलदार सिवाना ने जरिये पत्र कमांक–भू.अ./2026/397 दिनांक 09.02.2026 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट मे खसरा खसरा संख्या 1670 रकबा 0.8422 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का कबज कठं वर्षो से है जिसमें प्रार्थी का चारदीवारी ,शौचालय व स्नानघर बने हुये है। प्रार्थी को खाता संख्या 1 में दर्ज संख्या 1670 रकबा 0.8422 हैक्टेयर भूमि मे से प्रार्थी के कब्जा अनुसार 0.0600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी को रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित बरंग लाल अनुसार दिया जाना तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1666 में से 0.0600 हैक्टेयर भूमि बदिशा उत्तर–पश्चिम की ओर से परिशिष्ट''अ'' में दर्शित बरंग पीला अनुसार खाता संख्या 1 में दर्ज किया जाना उचित बताया है तहसीलदार सिवाना ने परिशिष्ट ''अ'' अनुसार उक्त तरमीम को दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा की है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1666 रकबा 0.2191 हैक्टेयर भूमि में वर्तमान में मौजूद तरमीम को निरस्त कर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

...ा - रमणिया
- रमणिया
...: सिवाना
सम्वत 2081
परिशिष्ट - 'अ'

N
S

■ खसरा संख्या 1666 में शामिल करना

■ खसरा संख्या 1666 से राज्य सरकार के खाता सं. 1 में शामिल करना

EX- CoM+

उपखण्ड अधि...
सिवाना (बालोतरा)

प्रमाणित प्रतिलिपि

प. रमणिया
पटवारी
पटवार मण्डल,